न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

मिसल नं0 2/134/2014 तारीख रजू

राम प्रसाद मीणा **बनाम** रामवती मीणा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18/11/14	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रा० पत्र 212 RT.A. वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रा० पत्र की ताईद में शपथ पत्र व नकल जमाबंदी की फोटो प्रति पेश की व अप्रार्थीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं [illegible] होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में खुली जाहिर हो। अत: अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो जवाब पेश होने तक ख० नं० 1557 वाके ग्राम कठूमर के रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 15/12/14 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक कायम कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये	

नम्बर व तारीख अहकाम व हुक्म की तामील	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]	उपस्थित [illegible] अग्रेषित । [illegible] 01/2/22 [illegible] SEH 211 PTA दिनांक 12/4/22 [illegible] [signature] उपखण्ड अधिकारी, कठूमर (अलवर)	
12/4/22	उपस्थित .... अग्रेषित । [illegible] अग्रेषित दिनांक 31/3/22 ओर तामील व कार्यवाही बाबत SEH 212 PTA LC दिनांक 18/4/22 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी, कठूमर (अलवर)	
13/4/22	प्रार्थी/वकील .... अग्रेषित [illegible] ओर तामील [illegible] SEH 202 RTO दिनांक 18/4/22 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी, कठूमर (अलवर)	
18.4.22	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर बहस वकील सुनी गई। अत: प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर [illegible] को [illegible] पाबन्द किया जाता है की पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 18.11.2014 को [illegible] के निर्णय तक [illegible] किया जाता है। निर्णय [illegible] से लिखाया जाकर [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] सुनाया गया। Sd/- उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व प्रार्थना.पत्र संख्या 02 / 174 / 2014

वउनवान

1. रामप्रसाद पुत्र रामस्वरूप प्रपोत्र रामचन्दर जाति जाटव
2. मोहरसिंह पुत्र रामस्वरूप प्रपोत्र रामचन्दर जाति जाटव
3. हुकमसिह पुत्र रामस्वरूप प्रपोत्र रामचन्दर जाति जाटव
4. महेन्द्रसिंह पुत्र रामस्वरूप प्रपोत्र रामचन्दर जाति जाटव
5. गोविन्दसिंह पुत्र रामस्वरूप प्रपोत्र रामचन्दर जाति जाटव
6. अनिल पुत्र रामस्वरूप प्रपोत्र रामचन्दर जाति जाटव (तर्क)
7. रूपनिया वेवा रामस्वरूप जाति जाटव
8. तारा पुत्री रामस्वरूप जाति जाटव
9. राधा पुत्री रामस्वरूप पत्नी चरनसिंह जाति जाटव

निवासीयान ग्राम कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर

सायलान

बनाम

1. रामवती पत्नी रोशनलाल जाति जाटव
2. विजय पुत्र रोशनलाल जाति जाटव
3. अजय उर्फ विजेन्द्र पुत्र रोशनलाल जाति जाटव
4. हेमराज माता जयदेई जाति जाटव
5. रेखा पुत्री जयदेई जाति जाटव
6. जगमोहन पुत्र रतन जाति जाटव
7. हरिसिह पुत्र दौली जाति जाटव
8. जगदीश पुत्र दौली जाति जाटव
9. मिश्री पुत्र दौली जाति जाटव
10. हंसराज पुत्र रामहेत जाति जाटव (मृतक)

10 / 1 नरेश पुत्र हंसराज जाति जाटव

10 / 2 विश्वेन्द पुत्र हंसराज जाति जाटव

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

10/3 लक्ष्मी देवी वेवा हंसराज जाति जाटव

11. राजेश पुत्र रामहेत जाति जाटव
12. बैजन्ती पुत्री रामहेत जाति जाटव
13. सोहनलाल पुत्र रतन जाति जाटव
14. हरीशचन्द पुत्र प्रेमसिंह जाति जाटव
15. गोपी पुत्र प्रेमसिंह जाति जाटव
16. बबीता पुत्री प्रेमसिंह जाति जाटव
17. शीला पत्नी प्रेमसिंह जाति जाटव

निवासीयान कस्वा कठूमर तहसील कठूमर.

18. उप पंजीयक महोदय कठूमर जिला अलवर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री रामजीलाल शर्मा एडवोकेट– अधिवक्ता सायलान की ओर से

श्री सुभाशचन्द शर्मा एडवोकेट– अधिवक्ता गैरसायल सं0 10/1 से 12

आदेश दिनांक 18.04.2022

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1557 रकवा 0.97 हे. जो साविक खसरा नम्बर 1237 मिन रकवा 3 वीघा 17 विस्वा ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है। सायलान एंव गैरसायलान एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा एक ही बुजुर्ग परमा की संतान है। परमा के चार पुत्र रतन, रामहेत, दौली व चन्दर पैदा हुये जो चारों फौत हो चुके है। रतन के वारिस रोशन जगमोहन सोहनलाल प्रेमसिह पैदा हुये जिनमें से रोशन व प्रेमसिंह फौत हो गये। रोशन की वारिस उसकी विधवा रामवती पुत्र विजय राजेन्द्र व अजय उर्फ बृजेन्द्र तथा एक पुत्री जयदेई है जिनमें से राजेन्द्र विला औरत निःसंतान फौत हो गया जयदेई के वारिस हेमराम व रेखा है। प्रेमसिंह के वारिस शीला हरीशचन्द, गोपी, प्रेम ववीता है। रामहेत के वारिस राजेश हंसराज

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

10/3 लक्ष्मी देवी वेवा हंसराज जाति जाटव
11. राजेश पुत्र रामहेत जाति जाटव
12. बैजन्ती पुत्री रामहेत जाति जाटव
13. सोहनलाल पुत्र रतन जाति जाटव
14. हरीशचन्द पुत्र प्रेमसिंह जाति जाटव
15. गोपी पुत्र प्रेमसिंह जाति जाटव
16. बबीता पुत्री प्रेमसिंह जाति जाटव
17. शीला पत्नी प्रेमसिंह जाति जाटव

निवासीयान कस्बा कठूमर तहसील कठूमर-

18. उप पंजीयक महोदय कठूमर जिला अलवर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

श्री रामजीलाल शर्मा एडवोकेट- अधिवक्ता सायलान की ओर से

श्री सुभाशचन्द शर्मा एडवोकेट- अधिवक्ता गैरसायल सं0 10/1 से 12

आदेश दिनांक 18.04.2022

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1557 रकवा 0.97 हे. जो साविक खसरा नम्बर 1237 मिन रकवा 3 वीघा 17 विस्वा ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है। सायलान एंव गैरसायलान एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा एक ही बुजुर्ग परमा की संतान है। परमा के चार पुत्र रतन, रामहेत, दौली व चन्दर पैदा हुये जो चारों फौत हो चुके है। रतन के वारिस रोशन जगमोहन सोहनलाल प्रेमसिह पैदा हुये जिनमें से रोशन व प्रेमसिंह फौत हो गये। रोशन की वारिस उसकी विधवा रामवती पुत्र विजय राजेन्द्र व अजय उर्फ बृजेन्द्र तथा एक पुत्री जयदेई है जिनमें से राजेन्द्र विला औरत निःसंतान फौत हो गया जयदेई के वारिस हेमराम व रेखा है। प्रेमसिंह के वारिस शीला हरीशचन्द, गोपी, प्रेम ववीता है। रामहेत के वारिस राजेश हंसराज

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

व बैजन्ती है विधवा गौमा फौत हो चुकी है। दौली के वारिस हरीसिंह, जगदीश व मिश्री है तथा रामचन्द का वारिस एक पुत्र रामस्वरूप था जो भी फौत हो गया उसके वारिस सायलान है। सायलान के पडदादा व दादा ससुर रामचन्दर थे रामचन्दर दौली रामहेत व रतन सगे भाई व एक ही पिता परमा की संतान है। परमा के नाम कुल 8 वीघा 12 विस्वा जमीन थी परमा के फौत हो जाने पर साविक आराजी खसरा नम्बर 1259 रकवा 2 वीघा 12 विस्वा रतन रामहेत व दौली पि0 परमा के नाम दर्ज थी काश्त रतन करता था साविक खसरा नम्बर 1237 रकवा 4 वीघा रतन वगैरा के नाम दर्ज थी काश्त रामहेत व दौली करते थे। साविक खसरा नम्बर 1237 रकवा 2 वीघा रतन वगैरा के नाम दर्ज थी काश्त सायलान के पडदादा व दादा ससुर रामचन्दर के नाम थी। जव तक सायलान के पडदादा व दादा ससुर रामचन्दर जीवित रहे उक्त रकवा 2 वीघा पर काविज रहकर काश्त करते रहे उनके फौत हो जाने पर उक्त रकवा 2 वीघा रकवा पर सायलान के पिता व ससुर रामस्वरूप ता जिन्दगी काविज रहकर काश्त करते रहे। रामस्वरूप के फौत हो जाने पर उक्त साविक आराजी खसरा नम्बर 1237 मिन रकवा 2 वीघा पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है इस प्रकार उक्त विवादित आराजी पर सायलान के पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के पूर्व से ही लगातार काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी मौके पर कब्जे काश्त में है। तमाम साविक रेवन्यु रेकार्ड में सायलान के दादा पिता रामचन्दर व रामस्वरूप की खातेदारी दर्ज है। सैटलमेंण्ट कर्मचारियों ने भू प्रबन्ध प्रक्रिया के दौरान खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से मौका एंव कब्जा की जांच किये विना व विना सक्षम न्यायालय के आदेश से सायलान की खातेदारी खत्म कर उक्त आराजी पर गैरसायलान के नाम मनमाने तरीके से दर्ज कर दी जो इन्द्राज गलत है। सैटलमेंण्ट कर्मचारियान को मौका कब्जा की जांच कर सायलान के नाम खातेदारी के प्रीवियस इन्द्राज रिपीट करने चाहिए थे। विवादित आराजी के रकवा 2 वीघा से गैरसायलान का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। गलत इन्द्राज की आड में गैरसायलान सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है तथा विवादित आराजी पर जवरन कब्जा करने व दीगर लोगों को रहन

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

वय करने की धमकी देते है।गैरसायला मना करने से नहीं मान रहे है यदि गैरसायलान अंपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गयें तो सायलान को ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलान नेआराजी खसरा नम्बर 1557 रकवा 0.97 हे. के 50/97 हिस्सा (2 वीघा) वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर वावत गैरसायलान को कब्जे काश्त में बाधा पैदा ना करने जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करने व रहन वय ना करने तथा गैरसायल सं 18 को उक्त आराजी वावत किसी तरह का रहननामा वयनामा आादि दस्तावेज तस्दीक व पंजीवद्व ना करने हेतु पाबन्द करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायल सं0 1, 3, 4, 6 व 8 लाठ 11, 13, 14, 17, 18 वावजूद तामील दिनांक 06.10.2015 को हाजिर नहीं आये जिनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 2, 5, 7, 12, 15, 16, 18 वावजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 20.01.2016 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। गैरसायल सं0 10 को जवाव प्रार्थनापत्र पेश करने वावत बार बार मौके दिये जाने पर भी जवाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। दिनांक 31.01.2020 को गैरसायल सं0 10 का जवाव बन्द किया गया।

सायलानने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073, नकल मिलान क्षैत्रफल, नकल जमाबन्दी संवत् 2011 व 2015 की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की वहस सुनी। अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायलान के पूर्वजों की पेदा कर्दा खातेदारी की आराजी है। सायलान व सायलान के पूर्वज उक्त आराजी के रकवा 2 वीघा पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के पूर्व से लगातार काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। उनके मरने पर अव सायलान का कब्जा काश्त है। तमाम साविक रेवन्यु रेकार्ड में विवादित आराजी वावत सायलान के वुजुर्गान की खातेदारी दर्ज है। बन्दोबस्त विभाग नेखिलाफ कानूनव खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से विवादित आराजी वावत गैरसायलान की खातेदारी दर्ज कर दी है जिस गलत इन्द्राज की आड में गैरसायलान सायलान

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

के कब्जे काश्त मे बाधा पैदा करते है तथा गलत इन्द्राज के आधार पर उक्त आराजी को दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायलान को काफी नुकशान व क्षति होगी। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फेसला दावा अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस के दौरान अधिवक्ता सायलान के कथनों का विरोध किया व कहा कि सायलान का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है और ना कभी कब्जा रहा और ना अव है। बन्दोबस्त विभाग ने जो इन्द्राज किये है वो मौके के अनुसार सही किये है। सायलान ने सही तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों सायलान द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व जवाव प्रार्थना पत्रव सायलान द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरका अवलोकन किया व विद्वान अधिक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। सायलान को प्रार्थना पत्र सावित करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित करना है

1. प्रथम दृश्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पुर्ति होने वाली क्षति को सावित करने का भार सायल पर है।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल मिलान क्षैत्रफल की छाया प्रति पेश की है जिसके अवलोकन से यह सही है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1557 रकवा 3 वीघा 17 विस्वा का साविक खसरा नम्बर 1237 मिन रकवा 3 वीघा 17 विस्वा वाके ग्राम कठूमर है। छाया प्रति जमाबन्दी संवत् 2011 में साविक खसरा नम्बर 1237 मिन रकवा 2 वीघा रतनरामहेत, दौली पि0 परमा चमार हरसे वहिस्सा बराबर सा0 देह गैर0 मौरूसी काश्त रामचन्द दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2015 साविक खसरा नम्बर 1237 मिन रकवा 2 वीघा रतन वगैरा मुन्दर्जे खाता नं0 759 ला0 762 काश्त रामचन्द दर्ज है। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 3 में परिवार का सजरा अंकित किया है जिसमें रतन, रामहेत, दौली रामचन्दर को परमा के वारिसान के रूप में अंकित किया है। जिस सजरा पर गैरसायलान ने कोई आपत्ति नहीं की है। साविक रेवन्यु रेकार्ड में विवादित आराजी का साविक खसरा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

नम्बर 1237 मिन रकवा 2 वीघा पर काश्त रामचन्द की दर्ज है। जिस सजरा पर गैरसायलान ने कोई आपत्ति नहीं की है। गैरसायल सं0 10/1 ला0 10/3 के अलावा शेष गैरसायलान बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व विद्वान अधिवक्ता वकुलाय की वहस पर मनन करने पर विवादित आराजी रकवा 2 वीघा पर सायलान का कब्जा प्रतीत होता है सायलान एंव गैरसायलान एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है मामला एक ही परिवार के सम्बन्धित है। जहां तक विवादित आराजी वावत बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत इन्द्राज करने का सवाल है ये तथ्य तो मूल वाद में मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्य आने पर तय किया जावेगा। यदि गैरसायलान ने सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा की तो हानि व क्षति सायलान को होना संभव है गैरसायलाान को पाबन्द किये जाने से उन्हे किसी तरह का नुकशान क्षति या हानि होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायलान के पक्ष में सावित है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 1557 रकवा 0.97 हे. के 50/97 हिस्सा (2 वीघा) वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में सायलान के कब्जे काश्त में किसी तरह की बाधा पैदा ना करें। जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करें तथा रेकार्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखें। पंत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 18.11.2014 को दावा के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 18.04.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)